न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 17 / 21 सन् 2021

RCMS NO-2021/307

बउनवानी:–1. गोविन्दराम पुत्र केसरा माली निवासी चेनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा
2. रामस्वरूप पुत्र केसरा माली निवासी चेनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा
3. चौथमल पुत्र केसरा माली निवासी चेनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा
4. छोटू पुत्र केसरा माली निवासी चेनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. प्रभू पुत्र पेमा माली निवासी चेनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा
2. तारावती पत्नि देवी सिंह माली निवासी लवकुश नगर वमनपुरा तह0 बयाना
3. केसर पत्नि श्योजी माली निवासी चैनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा
4. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा
5. सोनू कर्णावत पुत्र मूलचन्द जाति कंजर निवासी व तह0चौथ का बरवाडा तह0

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 668 दिनांक 28.10.2021 वाके ग्राम चैनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:–1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्टगण
2.श्री श्रीदास सिंह राजावत — वकील रेस्पो0 संख्या 5

–: निर्णय :– **दिनांक 27.5.2025**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 668 दिनांक 28.10.2021 वाके ग्राम चैनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित
वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित
वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया
आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया
आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण खाता भूमि ख0न0 104 रकबा 0.26 है0 के संबंध मे
कि अपीलान्ट संख्या एक ने विवादित भूमि ख0न0 104 रकबा 0.26 है0 के संबंध मे
कि अपीलान्ट संख्या एक ने विवादित भूमि पर पूर्वजो के समय से भौतिक कब्जा होने के संबंध मे रेस्पो.
अपीलान्टगणों का विवादित भूमि पर पूर्वजो के समय से भौतिक कब्जा होने के संबंध मे रेस्पो.
अपीलान्टगणों का विवादित भूमि पर पूर्वजो के लिखित मे ज्ञापन व पंचनामा सहित दिनांक 15.
संख्या 4 तहसीलदार चौथ का बरवाडा को लिखित मे ज्ञापन व पंचनामा सहित दिनांक 15.
संख्या 4 तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट
9.2021 को प्रस्तुत किया था तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट
9.2021 को प्रस्तुत किया था उसके पश्चात भी रेस्पो0 संख्या 4 ने अपीलान्टगणो
तलब किये जाने के आदेश पारित किये थे उसके पश्चात भी रेस्पो0 संख्या 4 ने अपीलान्टगणो
तलब किये जाने के आदेश पारित किये थे विवादित भूमि का नामा0 संख्या 668 निर्णित कर
को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही विवादित भूमि का नामा0 संख्या 668 निर्णित कर
को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही अपीलान्टगणों ने विवादग्रस्त आवंटन आदेश दिनांक
अहम भूल की है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्टगणों ने विवादग्रस्त आवंटन आदेश दिनांक
अहम भूल की है। यह तर्क भी दिया कि माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर रखी है जो प्रकरण
12.6.2000 की निगरानी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर रखी है जो प्रकरण
12.6.2000 की निगरानी प्रार्थना पत्र बनाम प्रभू वगै. के नाम से विचाराधीन है। यह तर्क भी
संख्या 46 / 21 उनवानी गोविन्दराम बनाम प्रभू वगै. के नाम से विचाराधीन है। यह तर्क भी
संख्या 46 / 21 उनवानी गोविन्दराम की तामील विवादित नामा0 668 निर्णय दिनांक
दिया कि उक्त निगरानी मे रेस्पो. संख्या 4 की तामील विवादित नामा0 668 निर्णय दिनांक
दिया कि उक्त निगरानी मे रेस्पो. उसके बावजूद भी आदेश जैर अपील पारित कर अहम भूल
28.10.2021 से पूर्व हो चुकी थी उसके बावजूद भी आदेश जैर अपील पारित कर अहम भूल
28.10.2021 से पूर्व हो चुकी थी को निरस्त करवाये जाने के लिए दीवानी
की है। विवादग्रस्त विकय पत्र दिनांक 17.8.2021 को निरस्त करवाये जाने के लिए दीवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.05 18:12:34 IST
Reason: Self-Attested

(सुभाष चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वाद सिविल न्यायालय चौथ का बरवाडा में दावा संख्या 27/21 उनवानी गोविन्दराम बनाम प्रभू वगै. के नाम से विचाराधीन है तथा अपीलान्ट संख्या एक ने थाना चौथ का बरवाडा में एफ.आई.आर. संख्या 276/21 भी दर्ज करवा रखी है। अतःअपील अपीलान्ट स्वीकार आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 5 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि आदेश जैर अपील से संबंधित विवादित भूमि आराजी ख0न0 104 रकबा 0.26 है0 का बैचान रेस्पो. संख्या एक प्रभू द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.8.2021 को रेस्पो. संख्या 2 व 3 को किया जाने पर उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 668 दिनांक 28.10.2021 दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो0 संख्या 2 व 3 द्वारा भी उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पो0 संख्या 5 को दिनांक 23.5.2022 को बैचान की जा चुकी है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा बताने के आधार पर आदेश जैर अपील निरस्त नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि आदेश जैर अपील से संबंधित विवादित भूमि आराजी ख0न0 104 रकबा 0.26 है0 का बैचान रेस्पो. संख्या एक प्रभू द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.8.2021 को रेस्पो. संख्या 2 व 3 को किया गया है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 668 दिनांक 28.10.2021 दर्ज फैसल किया गया है। खातेदार अपनी भूमि बैचने के लिए स्वतंत्र है एवं नामा0 उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त होने बाबत किया गया कथन भी इसलिए उचित नही है क्योकि किसी सबूत के अभाव मे यह मानना स्वाभाविक है कि विवादित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त होने से संबंधित तथ्यों की जॉच करने के उपरान्त ही जरिये नामा0 संख्या 283 दिनांक 22.11.2010 से आवंटी प्रभू को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया होगा। अपीलान्ट चाहे तो अपने अधिकार तय करवाने हेतु सक्षम न्यायालय मे दावा पेश कर सकता है। अतः विधिसम्मत पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 668 दिनांक 28.10.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 16:12:34 IST
Reason: SelfAttested